भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 02.08.2017

To,

1. Chief Secretary,
   Govt. of Bihar,
   Main Secretariat,
   Patna, Bihar – 800 015

2. Secretary,
   Department of Higher Education,
   Ministry of Human Resource Development,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi

3. Collector,
   District- Kishanganj,
   (Bihar) 855107

4. Secretary,
   Revenue & Land Reforms Department,
   Govt. of Bihar,
   Patna (Bihar).

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson & Members, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to eviction of tribals in District-Kishanganj, Bihar State from 07.07.2017 to 09.07.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson & Members, NCST on the above subject for meeting necessary action and send compliance /action taken report to the Commission within 15 days for placing before the Commission.

5046-51
2/8/17
ISSUED

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Divisional Commissioner, District- Purnia, North Bihar, Patna.
2. Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Ranchi, 14, New AG Co-operative Colony, Kadaru Ranchi (Jharkhand)-834002
3. PS to Hon'ble Chairperson.
4. PS to Vice Chairperson.
5. PA to Hon'ble Member (HKD).
6. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

दिनांक 07 जुलाई, 2017 से 09 जुलाई, 2017 तक बिहार के किशनगंज जिले में आदिवासियों को बेदखल किये जाने की स्थलीय जाँच रिपोर्ट ।

सुश्री अनुसूईया उइके उपाध्यक्ष, श्री हरिकृष्ण डामोर सदस्य एवं श्री एस.पी. मीना सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार को आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 20/06/2017 को किशनगंज-बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केन्द्र खोलने के क्रम में अवैध तरीके से अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन से बेदखल करने की शिकायत के मामले में स्थलीय जाँच करने के आदेश दिये । आदेशानुसार दिनांक 07 जुलाई, 2017 से 09 जुलाई, 2017 तक बिहार राज्य के किशनगंज जिले का दौरा किया गया ।

दिनांक 07 जुलाई, 2017

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य एवं आयोग के अधिकारियों का अतिथि गृह किशनगंज पहुंचने पर जिला अधिकारी श्री पंकज दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया । जिला अधिकारी ने आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी आयोग को दी । आयोग के जाँचदल ने कहा कि इस मामले में मौके पर जाकर स्थलीय जाँच करने के पश्चात आपसे विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे । वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों श्री अभिनव मोदी, श्री सुनील सोरेन मु.पो.-भेडिया डांगी जिला किशनगंज, श्री चन्द्रशेखर मोची पीडित अनु.जाति किसान, श्री अमित सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता, श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र हितरक्षा प्रमुख, कोलकत्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री गौतम पौधार स्थानीय अधिवक्ता द्वारा भी स्वागत

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किया गया। श्री बाबूलाल टुडू, पूर्व अध्यक्ष, जनजाति आयोग बिहार सरकार ने उपाध्यक्ष महोदया का स्वागत किया एवं मामले की विस्तृत जानकारी दी ।

राजकीय अतिथि गृह में प्रभावित हुये 200-250 अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरूष उपस्थित थे । समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम चकला, गोविन्दपुर में आदिवासी परवल, तरबूज, खीरा एवं समय-समय पर अन्य फसलें पैदा करते आ रहे थे । वर्तमान में यहाँ एक बाँध भी बनाया जा रहा है । महानन्दा नदी के पास का यह क्षेत्र जिस पर हम खेती करते आ रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केन्द्र स्थापित करने के लिये आवंटित कर दिया गया है । एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम नवी है, हम लोगों को बहुत परेशान करता है एवं धमकाता भी है । वह कहता है कि अब यह जमीन तुम्हारी नहीं रही है तुम यहाँ काश्त नहीं कर सकते हो । यह भूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है । उन्होंने यह भी बताया कि छठ पूजा का जहां परम्परागत मेला लगता था उस स्थान पर भी बाँध बनाया जा रहा है । जाँचदल ने उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त किया कि आयोग मौके पर जाकर विवादित स्थल से जुडी यथास्थिति की सूक्ष्मता से जाँच करेगा ।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 08 जुलाई, 2017

सुबह आयोग के जाँचदल ने राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि (विवादित स्थल) पर पहुंचने के निर्देश दिये । आयोग का जाँचदल सुबह लगभग 10:00 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार (विवादित स्थल) पर पहुंचा जहां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्गों के लगभग 250-300 लोग उपस्थित थे । श्री रामजी साह ए.डी.एम., श्री नीरज कुमार उपायुक्त (एल.आर.), श्री रमन कुमार सिंह अंचल अधिकारी और श्री सुरेन्द्र सिंह स्थानीय अमीन भी मौके पर राजस्व रिकार्ड के साथ उपस्थित मिले । उपस्थित लोगों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ लेकर चकला गाँव के खसरा नं. 22, 23, 124, 125, 126 एवं गोविन्दपुर गाँव के खसरा नं. 353,354,355,357,358 एवं 360 की आयोग ने स्थलीय जाँच की तथा पाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उसको आवंटित भूमि पर चारदीवारी बनाकर मुख्य दरवाजा भी लगा लिया है । विश्वविद्यालय की चारदीवारी के अन्दर अभी भी कहीं-कहीं मेढ़बन्दी बनी हुई है तथा चकला गाँव के लोगों ने अपनी-अपनी जमीन जहां वे खेती करते थे की निशानदेही बताते हुये अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा जे.सी.बी. से कुछ हिस्सा समतल कर सभी आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि भूमि से करीब चार-पाँच वर्ष पूर्व बेदखल कर दिया गया है । चार दिवारी बनाने से पूर्व उनके आवास हेतु कच्चे झोपड़े भी बने हुये थे उन्हें नष्ट कर दिया

हरि कृष्ण डामोर/ Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

गया है । जहाँ बॉध बनाया जा रहा है वहां नदी किनारे गंगा स्थान करते थे और छठ पूजा का मेला भी भरता था । अब वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है । इसके बाद उपाध्यक्ष एवं सदस्य ने नदी पर बने बॉध का भी अवलोकन किया जोकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को नदी से संभावित खतरे से बचाने के लिये बनवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि नदी किनारे उनकी धार्मिक आस्था एवं मान्यताओं के अनुसार गंगा-स्नान एवं छटपूजा का मेला लगता था तथा कर्मकाण्डों हेतु शमशान घाट आदि थे, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको जनजाति के लोग अपने धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वास की स्वतन्त्रता पर आघात मान रहे है ।

अतिथि गृह में श्रीमती बन्देश्वरी संभागीय आयुक्त पूर्णिया ने व्यक्तिगत रूप से आयोग के जाँचदल के साथ विवादित मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श किया एवं आश्वासन दिया कि आदिवासियों के साथ न्याय किया जायेगा ।

स्थलीय जाँच करने के बाद जिला अधिकारी के कार्यालय में दोपहर बाद 04:00 बजे आयोग की उपाध्यक्ष, सदस्य एवं सहायक निदेशक ने श्रीमती बन्देश्वरी संभागीय आयुक्त पूर्णिया जिला अधिकारी किशनगंज, जिला प्रशासन राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ बैठक ली जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी एवं स्थानीय व्यक्ति भी उपस्थित थे । इस बैठक में जिला अधिकारी, किशनगंज ने आयोग के जाँचदल

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

को अवगत करवाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सरकारी भूमि आवंटित की है तथा इस हेतु आदिवासियों की कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है । इस कारण मुआवजा भी नहीं दिया गया है । जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संलग्न नक्शे के अनुसार खसरा नं. 22 व 23 में जो कब्जा कृषि भूमि पर है और जो भूमि कृषकों को आंवटित की गई थी वह भूमि विश्वविद्यालय की चारदीवारी के बाहर दर्शाई गयी हैं । परन्तु आयोग के जाँचदल ने स्थलीय जाँच में पाया कि उक्त खसरा नं. 22 व 23 बड़े खसरे हैं । उक्त खसरों की कुद भूमि विश्वविद्यालय केन्द्र की चार दिवारी के बाहर है और कुछ भूमि विश्वविद्यालय की चारदीवारी के अन्दर आती है, इसकी पुष्टि उपायुक्त एवं एस.डी.ओ. द्वारा जारी जमीन के नक्शे से भी होती है जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

अंचल अधिकारी ने बंदोबस्ती की सूची का विवरण दिया है जिसमें चकला गाँव के 101 और गोविन्दपुर गाँव के 95 व्यक्तियों की सूची है । जाँचदल ने पाया कि जो भूमि आदिवासियों को बंदोबस्ती में आवंटित की गई थी, उसका मौके पर राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश कर सीमांकन नहीं किया गया था और जनजातिय परिवार अपनी सुविधानुसार कृषि कर रहे थे क्योंकि आवंटन के बाद पटवारी द्वारा मौके पर भूमि नाप कर कब्जा नहीं दिया था और पटवारी ने नक्शे में तरमीम भी नहीं की थी । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र को भूमि आवंटित करते समय भी मौके का निरीक्षण नहीं किया । जिला प्रशासन को

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग के जाँचदल ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन कृषकों को बिना पूर्व सूचना/नोटिस एवं मुआवजा दिये बिना किया गया है । यह न्यायोचित कार्यवाही प्रतीत नहीं होती है साथ ही पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नदी बहाव क्षेत्र के 500 मीटर की दूरी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने की सलाह का भी उल्लघंन हुआ है । बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व रिकार्ड अपूर्ण होने के मामले में मौखिक रूप से त्रुटि मानते हुये आश्वासन दिया कि एक माह के अन्दर उन सभी आदिवासियों को जिनकी भूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हेतु अधिगृहित की गई है को उपलब्ध सरकारी भूमि में से कैम्प लगाकर कृषि योग्य भूमि आवंटित कर दी जायेगी साथ ही जिनकी भूमि बाँध हेतु अधिग्रहित की गई है को भी नियमानुसार मुआवजा दिये जाने तथा आवासहीनों को नियमानुसार पुर्नवासित किया जायेगा एवं आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा और इनके साथ न्याय किया जायेगा ।

स्थानीय अतिथि गृह में आयोग के जाँचदल ने पत्रकारों को जाँच में पाये गये बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी साथ ही जिलाधिकारी द्वारा आयोग को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये आश्वस्त किया है ।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग द्वारा जिला प्रशासन को निम्नलिखित सिफारिशें दी गई :-

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि से प्रभावित प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक माह के अन्दर भूमि चिन्हित कर पुनः आवंटित की जाये ताकि वह अपनी आजीविका हेतु कृषि कार्य कर सकें साथ ही बाँध से प्रभावित लोगों को मुआवजा एवं आवास की व्यवस्था की जाये ।

2. आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे उनकी सहमति से पूजा पाठ, रीति-रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान एवं मेलें आदि के आयोजन एवं शमशान आदि हेतु भूमि उपलब्ध करवायी जाये जिससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का सुरक्षण गौरवपूर्ण तरीके से हो सके ।

3. चूंकि मामला भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास से जुड़ा है। अतः प्रभावितों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न पदों पर नौकरी दी जावें।

4. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । अतः प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को कृषि भूमि तथा धार्मिक मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों हेतु भूमि आवंटन के आश्वासन पर कलेक्टर, किशनगंज द्वारा कार्यवाही की जा रही है, विश्वविद्यालय को अग्रिम अनुदान देने से पहले विचार किया जाये ।

(हरिकृष्ण डामोर)
सदस्य

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi